

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 233]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 मई 2013—ज्येष्ठ 1, शक 1935

सामाजिक न्याय विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 मई 2013

क्र. एफ 2-13-2011-छब्बीस-1.—निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 32 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिए पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 19 जनवरी 2012 एवं 22 जनवरी 2013 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय, भोपाल के द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लेखित तीन विभागों की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गई विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची—एक

- (1) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
- (2) किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
- (3) आयुक्त, सह-संचालक, मध्यप्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (राज्य शिक्षा केन्द्र) भोपाल.

व्ही. के. बाथम, सचिव.

अनुसूची—दो

विभाग का नाम—पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

श्रेणी	पद संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकन पद/संवर्ग एवं संख्या			योग 6+7+8	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी	सहायक यंत्री	43	43	2	1	0	1	2	दृष्टि बाधित हेतु छूट प्राप्त
श्रेणी	योग . .	43	43	2	1	0	1	2	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
तृतीय श्रेणी.	उपयंत्री	1360		81	41	0	40	81	दृष्टि बाधित हेतु छूट प्राप्त
	सहायक मानचित्रकार	53	1549	3	2	0	1	3	दृष्टि बाधित हेतु छूट प्राप्त
	अनुरेखक	136		8	4	0	4	8	दृष्टि बाधित हेतु छूट प्राप्त
	योग . .	1549	1549	92	47	0	45	92	

विभाग का नाम—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
विभागाध्यक्ष का नाम—संचालक, कृषि अभियांत्रिकी

श्रेणी	पद संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या का कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकन पद/संवर्ग एवं संख्या			योग 6+7+8	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी.	सहायक कृषि यंत्री.	17	17	1	1	—	—	1	दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित हेतु छूट प्राप्त.
तृतीय श्रेणी.	यांत्रिकी सहायक.	40	40	2	2	—	—	2	दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित हेतु छूट प्राप्त.
चतुर्थ श्रेणी.	स्वच्छक	263	263	15	—	—	15	15	अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित हेतु छूट प्राप्त.

विभाग का नाम—स्कूल शिक्षा विभाग
विभागाध्यक्ष का नाम—राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

श्रेणी	पद संवर्ग का नाम	सीधी भर्ती के स्वीकृत पद	योग	पदों की संख्या के कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकन पद/संवर्ग एवं संख्या			योग 6+7+8	यदि किसी संवर्ग में किसी श्रेणी से छूट आवश्यक हो तो उसकी टीप
					अस्थि बाधित	दृष्टि बाधित	श्रवण बाधित		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित)	सहायक प्राध्यापक.	125	125	7	5	2	0	7	श्रवण बाधित हेतु छूट प्राप्त.
	वरिष्ठ व्याख्याता.	131	131	8	5	3	0	8	श्रवण बाधित हेतु छूट प्राप्त.
	व्याख्याता	407	407	24	16	8	0	24	श्रवण बाधित हेतु छूट प्राप्त.
	योग . .	663	663	39	26	13	0	39	